42
2021

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज़ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा

सन्तोष —— बनाम —— जयलाल वगै०

किस्म मुकदमात —— प्रार्थना पत्र 212 —— मु०नं० 14 —— वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
15.02.21	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री ....**श्री वादिया सन्तोष स्वंय उपस्थित** .... हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्वेश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है **अप्रार्थीगण** को आगामी पेशी दिनांक ...**16.03.2021**...... तक विवादग्रस्त आराजी **भूमि हाल खसरा 94 रकबा 0.85 है० मौजा ग्राम श्योपुरा में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं करें । अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड व साधारण नोटिस पेश करें।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथें से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन व्यक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थी पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन / वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.03.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	
10 3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी [illegible] दावा [illegible] किया करने पर [illegible] की पेश [illegible] किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज किया जाता है। पत्रावली कैश बुक रजिस्टर नम्बर 6 [illegible] की [illegible] तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	[illegible] मन्नी सरोज

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:58:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner